रिकवरी और रि-फिक्सेशन पर लगी रोक से संबंधित वास्तविक तथ्य

जैसा कि आप जानते हैं, ARTEE ही वो पहला संघ था जिसने OA No.2479 / 2015 के माध्यम से न्यायालय का रूख किया था जब MIB ने DoPT स्पष्टीकरण के आधार पर पुनः निर्धारण और रिकवरी के लिए दिनांक 08.09.2014 को आदेश यह इंगित करते हुए जारी किया कि 25.02.1999 के अनुसार प्राप्त वेतनमानों को एमएसीपी (MACP) योजना के तहत एक अपग्रेडेशन के रूप में गिना जाना चाहिए।

इस OA में, हमने 13.07.2015 को पुनर्प्राप्ति और पुन: निर्धारण के खिलाफ अंतरिम रोक प्राप्त की और 08.09.2015 को पूर्णरूपेण मनाही/रोक का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त किया। इसी न्यायालीय आदेश के बल पर सभी अधीनस्थ इंजीनियरिंग संवर्ग कर्मचारी 13.07.2015 से ही पुन: निर्धारण और वसूली से बच गए थे।

OA No.2479 / 15 को अंततः दिल्ली कैट ने 01.12.17 को अनुमति दी थी। हमारे एसोसिएशन द्वारा दायर OA 2479/2015 को दिल्ली कैट ने श्रीमति श्यामली विस्वास के एक निजी केश (OA No.1118 / 2015) के दिनांक 31.03.2016 के आदेशानुसार निपटाया क्योंकि दोनों मामले का विषय एक था। और यही रिट याचिका संख्या 2034/2017 में पारित आदेश मे भी हुआ था।

11.04.2017 को, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती स्यामली बिस्वास के मामला में दिल्ली कैट के आदेश को दिनांक 31.03.2016 को रोक लगा दिया। । इसलिए वह आदेश स्वतः हमारे मामले में भी स्थगन आदेश की तरह प्रभावित हुआ।

इस अनुकूल स्थिति का लाभ उठाते हुए माननीय MIB ने रिकवरी और पुनः निर्धारण के लिए दिनांक 31.01.18 को आदेश जारी किया।

हमने दिनांक 31.08.18 को इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने हमें कैट से संपर्क करने का निर्देश दिया, क्योंकि 31.01.18 को निर्गत आदेश कार्रवाई का एक नया स्वरूप था ,पर CAT DELHI की सुनवाई तक STAY सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके बाद महानिदेशक (आकाशवाणी) ने वसूली और पुनः निर्धारण के लिए एक और आदेश दिनांक 26.06.18 जारी किया।

DG (AIR) द्वारा 26.06.18 आदेश जारी करने के बाद, ARTEE ने OA 2479/15 के तहत और Contempt Petition (दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित) दायर किया।अब CP No.371 / 18 को 29.06.18 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुआ।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तरदाताओं को "कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करने" और 02.08.18 (अगली सुनवाई की तारीख) तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस प्रकार ARTEE को DG AIR के आदेश के खिलाफ 26.06.18 को ही ABSOLUTE STAY मिल गया ।

अवमानना याचिका सी.पी. No.371 / 18 को 03.08.18, 24.09.18, 22.10.18, 14.12.18, 08.03.19 और 27.05.19 को फिर से सूचीबद्ध किया गया। लेकिन विभाग ने माननीय न्यायालय को 29.06.18 तक मामले की सूचना देने के लिए जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

इसलिए न्यायालय द्वारा 29.06.19 को अंतरिम राहत का आदेश दिया गया है, जो 26.06.18 के आदेश पर उत्तरदाताओं को किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने से रोक रहा है।

इसी बीच ARTEE ने निम्नलिखित मांगों के साथ एक और OA 2575/2018 दायर किया और अंतरिम राहत के रूप में वर्तमान OA की पेंडेंसी के दौरान आदेश के संचालन को बनाए रखने का अनुरोध किया।

1) MIB द्वारा निर्गत दिनांक 31.01.2018 के आदेश को 08.09.2014 के आदेश के क्रम में निरस्त करने का आदेश जारी किया जाए।

2) दिनांक 08.09.2014 और 31.01.2018 के अनुपालन के क्रम में उत्तरदाताओं(Respondents) द्वारा 06.04.2018 ,26.06.2018 या कोई अन्य निर्गत आदेशों को निरस्त किया जाए ।

3) उत्तरदाताओं को दिनांक 25.02.1999 के आदेशानुसार देय वेतनमान को एक UPGRADATION के रूप में न मानने के लिए निर्देशित किया जाए , बल्कि एसीपी / एमएसीपी सहित सभी उद्देश्यों की बहाली के रिप्लेसमेंट स्केल के रूप में ही माना जाए और साथ ही सभी परिणामी लाभों के साथ।और यदि उत्तरदाताओं द्वारा उक्त आदेशों के पालन में कोई भी Refixation या Recovery इस बीच कर ली गई हो तो वैसे मामलों में वेतन और भत्ते की बहाली और रिकवरी के रिफंड सहित की जाए।

4) OA को सभी भत्तों के साथ वेतन भत्ते और पदोन्नति के सभी संभावित लाभों के साथ अनुमति दें, और आवेदक के पक्ष में लागत और कोई अन्य या आगे आदेश (ओं) को पारित करें, जो ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों में यह माननीय न्यायाधिकरण के अनुसार उचित और ज्यादा उचित हो सकता है।

हमारे पहले के OA No.2479 / 15 में, हमने MIB के आदेश दिनांक 08.09.2014 को चुनौती दी थी। हालांकि, एआरटीईई को उपरोक्त OA में अनुकूल आदेश मिला था, यह दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित डब्ल्यूपीसी में निर्णय के अधीन था।

हमने इस नकारात्मक कारक को दूर करने के लिए और वसूली के खिलाफ मामले पर पूर्ण कहने और नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पुनः OA 2575/2018 दायर किया।

लेकिन 13.07.2019 को आयोजित सुनवाई में, सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को यह गलत संदेश दिया कि हमारा एसोसिएशन एक पंजीकृत एसोसिएशन नहीं है और गैर-पंजीकृत संघ के सदस्यों को लाभ नहीं दिया जा सकता है, और इसलिए न्यायाधिकरण ने केवल उन्हीं आवेदकों को राहत दिया जो OA 2575/2018 में पार्टी थे ।

हमने MA No.3612 / 2018 दायर किया जो कि एसोसिएशन को भी उसी के लाभ को बढ़ाकर 13.07.19 के पहले के अंतरिम आदेश को संशोधित करने की मांग कर रहा है। सुनवाई में हमारे अधिवक्ता ने हमारे

पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया, लेकिन सरकारी पक्ष ने अब प्रस्तुत किया कि हमारा संघ एक मान्यता प्राप्त संघ नहीं है।

लेकिन साथ ही सरकार यह पक्ष भी प्रस्तुत करता है कि वे एसोसिएशन के सदस्यों सहित किसी भी कर्मचारी से कोई भी राशि वसूल नहीं कर रहे हैं (हमारे सीपी 371/18 में रहने के कारण जो सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से रोकता है)।

लेकिन सरकार के पक्ष ने एक "व्यावहारिक मुद्दा" उठाया कि चूंकि हमारे सदस्य देश भर में 4600 के आसपास तैनात थे और उनके ठिकाने और व्यक्तिगत सेवा विवरणों को सहसा सत्यापित करना संभव नहीं है और किसी भी सामान्य आदेश से अवमानना के मामले दर्ज हो सकते हैं।

दुर्भाग्य से कोर्ट ने सरकारी पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त एसोसिएशन के सदस्य, जो न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार नहीं थे, वे भी किसी भी व्यक्तिगत राहत के स्वतः हकदार हैं।

भले ही यह सिर्फ एक तकनीकी बात है कि अदालत ने एसोसिएशन को राहत से बाहर रखा , जो कि ट्रिब्यूनल से पहले व्यक्तिगत आवेदकों को दी गई थी। परन्तु सरकारी वकील द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत करने के बाद था कि वे किसी भी कर्मचारी से कोई भी राशि नहीं वसूल रहे हैं ,पूरा मामला हमारे STAY के पक्ष में आ जाता है क्योंकि शायद हमारे CP 371/18 में लगा Stay Inforce है जो सरकार को एसोसिएशन के सदस्यों से कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोकता है।

जैसा कि आप जानते हैं, हमारे OA में उक्त निर्णय के बाद और उससे पहले एसोसिएशनों (जो CCS (RSA) के नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं थे) के अनुसार दायर कई OAs में, देश भर के ट्रिब्यूनल ने व्यक्तिगत आवेदकों, एसोसिएशन और उनके सामान्य सदस्यों को भी OAs के लाभ प्रदान किए थे जो उन मुकदमों में पार्टी नहीं थे।

जैसा कि यह आदेश से स्पष्ट है, आदेश स्वयं विरोधाभासी है। आदेश के पैरा 8 में, अदालत यह भी सहमत है कि कैट (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम 4 (5) (बी) के अनुसार, 1987 एसोसिएशन को प्रभावित कर्मचारियों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है ताकि सामान्य कारण बताए जा सकें, लेकिन अगले में वाक्य ही यह अन्यथा व्याख्या करता है।

अब वित्त वर्ष 2019-20 में RSA सदस्यता कटौती के बाद, एआरटीईई सदस्यों का पूरा विवरण विभाग के पास है और इसलिए सरकारी वकील द्वारा उद्धृत "व्यावहारिक मुद्दा" अब वैध नहीं है।

जैसा कि हमने पहले बताया, सभी ARTEE सदस्य CPA 371/18 में OA 2479/15 में कोर्ट के आदेश के अनुसार सुरक्षित हैं।

हमें एक.और महत्वपूर्ण तथ्य आपसभी से साझा करते हुए खुशी है कि AADEE ने अपने OA 2449/2018 में उनके समर्थन में ARTEE द्वारा दायर OA 2479/2015 में दिए गए पूर्णरूपेण स्टे (Absolute STAY)का भी उपयोग किया।

> Learned counsel for the applicants produced three orders wherein the Vacation Bench of CAT had considered the similar matter and passed orders to the effect that the respondents shall maintain *status quo* in respect of fixation of pay as well as recovery (OA No.2479/2015, OA No.1003/2007 and OA No.3046/2015).

कृपया OA 2449/2018 में दिनांक 20.07.18 को न्यायालय के आदेश का नीचे का भाग पढ़ें जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि OA No.2449 / 2018 के माध्यम से AADEE को किस मुख्य आधार पर STATUS QUO का दर्जा मिला। यह केवल ARTEE के 2479/2015 और अन्य दो संघों द्वारा दायर OAs (3046/2015 और 1003/2007) में अदालत के आदेश पर हीआधारित था।

यह अब बहुत ही हास्यास्पद है कि AADEE के कुछ नेता गण और सदस्य गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि ARTEE को इस मामले में कोई वैध STAY का आदेश प्राप्त नहीं है।

हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे ऊपर दिए गए दिल्ली कैट के आदेश के अनुसार दिनांक 20.07.2018 को पढ़ने का प्रयास करें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि AADEE के अधिवक्ता ने "तीन कोर्ट आदेश ARTEE OA No. 2479/2015) , OA No. 1003/2007 और OA No.3046 / 2015)" का सहारा लिया था , जिसमें कैट के अवकाश खंडपीठ ने इसी तरह के मामले पर विचार किया था और इस आशय के आदेश पारित किए थे कि उत्तरदाता वेतन निर्धारण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।

ऊपर से यह बिना किसी विवाद के सिद्ध किया होता है कि कि AADEE के वकील ने उनके मामले में बने रहने के लिए ARTEE द्वारा OA 2479/2015 मेंअर्जित स्थगन आदेश का उल्लेख किया और STATUS QUO पाने में सफल हो पाए थे।

यह बहुत ही निंदनीय है कि उसी एसोसिएशन के नेतृत्व और कुछ सदस्य अब यह प्रचारित कर रहे हैं कि ARTEE के पास रिकवरी और री-फिक्सेशन के खिलाफ STAY का कोई आदेश नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अपने निहित स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मात्र के लिए आम सदस्यों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है और वे प्रत्येक विषय में इसी तरह के झूठे प्रचार कर रहे हैं।

ये झूठे प्रचार वास्तव में उनके गलत इरादों और उद्देश्यों को स्थापित करते हैं। कर्मचारियों का कल्याण उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। उनका असली एजेंडा एक व्यक्ति का कार्मिक महिमामंडन है।

इसलिए हम सभी समझदार कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि वे आकाशवाणी और डीडी में कर्मचारियों के वास्तविक कल्याण कार्यों को मजबूत करने के लिए ARTEE में वापस आने के लिए पुनर्विचार करें और AADEE के विभिन्न झूठे प्रचारों में ना आएं। हम लोकतांत्रिक तरीके से और एक सच्चे कल्याण सेवा संघ के रूप में काम कर रहे हैं, और हम इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वास्तविक हित की रक्षा के लिए सभी इंजीनियरिंग कर्मचारियों को ARTEE के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आरती केंद्रीय कार्यालय